न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एलआर/1706/2005/हनुमानगढ़

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़।
.....अपीलार्थी

बनाम

चानणराम पुत्र सुरजाराम जाति नाई निवासी ग्राम रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
.....प्रत्यर्थी

एकल–पीठ
डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थितः
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत उप–राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री मनीष पाण्डेय, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांकः.....

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 146/2002 में पारित निर्णय दिनांक 17–9–2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं तहसीलदार भादरा ने न्यायालय अपर कलक्टर, नोहर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 पेश कर कथन किया कि सहायक कलक्टर नोहर मुख्यालय भादरा ने प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 में दिनांक 01–11–2001 को अप्रार्थी को ग्राम हुणतपुरा के खसरा नंबर 86 व 88 में कुल 1.518 हैक्टेयर (6 बीघा) गैरमुमकिन पायतन का आवंटन किया। उक्त आवंटन कपटपूर्ण एवं तथ्य छपुाकर प्राप्त किया गया। अप्रार्थी के परिवार के सदस्यों की कुल भूमि की जांच नहीं की गयी। आवंटित भूमि गैरमुमकिन पायतन सार्वजनिक हित एवं उपयोग की भूमि है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे। अप्रार्थी को नोटिस प्राप्त होने पर उसने उपस्थित होकर जवाब पेश किया एवं तहसीलदार के कथनों से इन्कार किया। न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 02–12–2002 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन दिनांक 01–11–2001 निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध रेस्पोडंट ने प्रथम अपील न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17–9–2004 द्वारा रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार करते हुए अपर जिला कलक्टर, नोहर का निर्णय दिनांक 02–12–2002 को अपास्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने इस बात की ओर गौर नहीं किया कि आवंटी द्वारा अपने आवेदन पत्र में उसके द्वारा पूर्व में धारित भूमि का कोई वर्णन अंकित नहीं किया है एवं ना ही पटवारी एवं तहसीलदार ने कोई टिप्पणी दी है। इस प्रकार आवंटन हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, वह अपूर्ण था। इस कारण ऐसे अपूर्ण आवेदन पत्र पर जो आवंटन किया गया है, वह नियमों के विपरीत होने से कलक्टर द्वारा धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम के तहत् आवंटन को निरस्त करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि प्रत्यर्थी को भूमि आवंटन करने से पूर्व आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन नियमों की कतई पालना नहीं की गई है एवं बिना नियमों की पालना किये हुए आवंटन किया है, जिसे निरस्त करने में अपर कलक्टर द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है। अपर जिला कलक्टर ने अपने विस्तृत निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि किन किन आधारों से आवंटन गलत रूप से किया गया है। विवादित भूमि जिस गांव में स्थित है, उस गावं का आवंटी निवासी नहीं होकर अन्य गांव का निवासी है, इस कारण विवादित भूमि पर उसका कोई हक व अधिकार नहीं बनता। राजस्व रिकार्ड में आंवटित भूमि गैर मुमकिन पायतन दर्ज है, जिसे बारानी दर्शात हुए बिना भूमि की कीमत दर्शाते हुए आवंटन कराया गया है। अन्त में उप राजकीय अधिवक्ता का कथन किया कि उपनिवेशन क्षेत्र में हमेशा बिना चकबन्दी सर्वे के आवंटन नहीं किया जा सकता है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा किया गया है जिस बात की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने कानूनी प्रावधानों की सही रूप से व्याख्या नहीं कर केवल कयास के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया है, जो सर्वथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकित किया है कि आवंटित भूमि के लिए अन्य किसी व्यक्ति का आवेदन पेश नहीं किया गया है। पत्रावली पर जो दस्तावेज है उनसे यह स्पष्ट साबित है कि प्रार्थी ही आंवटित भूमि पर काबिज है। तहसीलदार ने अपने आवेदन में यह अंकित ही नहीं किया कि प्रत्यर्थी द्वारा यह भूमि आवंटित कराते समय किन तथ्यों को छिपाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह भी अंकित किया है कि तहसीलदार का आदेश एक साईक्लोस्टाईल पत्र पर दिया गया आदेश है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अपने स्वविवेक का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। उनका कथन है कि आवंटित भूमि प्रत्यर्थी की कृषि भूमि से चिप्ती हुई है जिसे वह स्माल पेच के नियमों के अन्तर्गत आवंटन कराने का पात्र है। चूंकि अन्य किसी पड़ौसी को भी उक्त भूमि का आवंटन करने में आपत्ति नहीं है। उक्त सभी तथ्यों को देखते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय ने यह देखते हुए कि

भूमि यदि खाली रहेगी तो अतिक्रमण करने को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रत्यर्थी के खिलाफ कई बार लम्बे समय से कब्जा होने से इस भूमि बाबत कार्यवाही की गई है, तथा उनके द्वारा आंवटन के समय कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, अपील स्वीकार कर पीरक्षण न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए मूल आवंटन आदेश को यथावत रखा है, जो एक विधिवत निर्णय है जिसमें इस द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

5– हमनें उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि न्यायालय अपर जिला कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 02–12–2002 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि प्रत्यर्थी ने अपने आवंटन आवेदन पत्र में कोई भूमि नहीं दर्शायी है, न ही इस पर पटवारी व तहसीलदार ने कोई टिप्पणी की है। टिप्पणी केवल आवंटन हेतु चाही गयी भूमि के बाबत अपूर्ण रूप से की गयी है। प्रत्यर्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा धारित भूमि की जांच नहीं की गयी। उन्होंने अंकित किया कि आंवटित रकबा प्रत्यर्थी की भूमि से चिपता हुआ है तथा आवंटन स्माल पेच में हुआ है जबकि प्रत्यर्थी स्वयं के नाम 16 बीघा बारानी भूमि है। आवंटन आदेश 01–11–2001 को जारी किया गया है जबकि आवंटन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित भूमि का नक्शा किश्तवार पटवारी ने 06–11–2001 को तैयार किया, अतः आवंटन मजमेआम में नहीं कर पिछली दिनांक में किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी अंकित किया है कि आवंटी ग्राम रासलाना व ग्राम पंचायत रासलाना का निवासी है जबकि आवंटन ग्राम पंचायत जाटान के ग्राम हुणतपुरा के रकबे से किया गया है। आवंटन आदेश में भूमि की किस्म बारानी अंकित है जबकि रेकार्ड में गैर मुमकिन पायतन अंकित है इसके साथ ही आवंटित भूमि की कीमत कितनी है यह भी नहीं दर्शाया गया है। उपनिवेशन घोषित क्षेत्र में बिना चकबन्दी एवं सर्वे तथा चकप्लान भूमि आवंटन नीति के विरूद्ध है। इन सभी कारणों को अंकित करते हुए उन्होंने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 01–71–2001 निरस्त किया है।

7– अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय में परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विपरीत जाकर यह अंकित किया है कि पटवारी एवं तहसीलदार ने आवंटन के लिए सिफारिश की हैं विवादित भूमि के आवंटन के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन पेश नहीं किया गया है। धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नोटिसों से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यार्थी का भूमि पर कब्जा है। अपीलांट के पास अन्य 16 बीघा भूमि शामिल करने से भी उसके पास सीलिंग सीमा से कम रकबा है। प्रत्यर्थी द्वारा कोई तथ्य आवंटन करते समय नहीं छिपाया गया है और भी कई तथ्य अंकित करते हुए उन्होंने प्रत्यर्थी को किये आवंटन को उचित माना है।

8– हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय ने जो तथ्य अंकित किये हैं, वे मान्य नहीं है। जब परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा सर्वप्रथम आवंटन के समय ही नियमों

की अनदेखी की गई है तथा भूमि की जब किस्म गैरमुमकिन पायतन है तो उसका आंवटन ही कैसे किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में मुख्य बातों को छोड़कर अधीनस्थ न्यायालय ने जिन तथ्यों को अंकित करते हुए अपील स्वीकार की है, वह मान्य प्रतीत नहीं होते है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रत्यर्थी के आवंटन को विधि विरूद्ध मानने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

9– परिणामतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 17–9–2004 खारिज किया जाता है तथा न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नोहर जिला हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 02–12–2002 को यथावत रखा जाकर मूल आवंटन आदेश दिनांक 01–11–2001 को खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
सदस्य

bb